न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 154/2016 (225 आरटीए) ईमीदेवी बनाम पप्पूदेवी वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2016/00100)

ईमीदेवी पत्नी श्री ओमाराम जाति जाट निवासी ग्राम पल्ली, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

.... अपीलांट

बनाम

1 पप्पूदेवी पुत्री श्री फताराम पत्नी श्री अखाराम जाति जाट, निवासी ग्राम पल्ली, हाल निवासी ग्राम पल्ली, हाल निवासी– ग्राम शैतानसिह नगर तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

2 तुलछी पत्नी श्री फताराम,

3 एलची पुत्री श्री फताराम पत्नी श्री तेजाराम जाति जाट, निवासी पण्डित जी की ढाणी, तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

4 विमला पुत्री श्री फताराम पत्नी श्री दुर्गाराम,

5 चुकी पुत्री श्री फताराम,

6 बेबी पुत्री श्री फताराम, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 नाबालिग जरिए कुदरती वलिया माता श्रीमती तुलछी पत्नी श्री फताराम,

7 मनु पत्नी श्री घमूराम,

8 गंगा पत्नी श्री दलाराम,

9 हीराराम पुत्र श्री आसूराम,

10 उरजाराम पुत्र श्री आसूराम,

11 भूराराम पुत्र श्री रूपाराम,

12 जगमालराम पुत्र श्री रूपाराम,

13 भोमाराम पुत्र श्री रूपाराम,

14 जसाराम पुत्र श्री रूपाराम,

15 मुल्तानाराम पुत्र श्री दलाराम,

16 भेराराम पुत्र श्री दलाराम,

17 बाबूलाल पुत्र श्री दलाराम,

18 भोमाराम पुत्र श्री खियाराम,

19 गोरखाराम पुत्र श्री उदाराम,

20 देवाराम पुत्र श्री उदाराम,

21 रामूराम पुत्र श्री उदाराम,

सभी जाति जाट निवासीगण ग्राम पल्ली तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

22 यूको बैंक ओसियां जरिए शाखा प्रबंधक यूको बैंक ओसियां, जिला जोधपुर।

23/8

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

23 सरकार जरिए तहसीलदार ओसियां।

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर ओसियां
दिनांक 17.06.2016 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 278/2013

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल।
2 रेस्पो. सं. 1, 2, 6 की ओर से अधिवक्ता श्री अणदाराम चौधरी।
3 रेस्पो सं. 3 से 5 एवं 7 से 23 प्रफोर्मा पक्षकारा होने से तामील से छूट प्रदान की गई।

निर्णय

दिनांक : 23.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर ओसियां के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 278/2013 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1 की ओर से एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए, प्रस्तुत किया जिसके साथ राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 278/2013 अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चैनसागर, तहसील ओसियां की सरहद में खेत खसरा नं. 374/1 रकबा 149 बीघा, खसरा नं. 378 रकबा 44 बीघा 6 बिस्वा कुल खसरा–2 कुल रकबा 193 बीघा 6 बिस्वा भूमि रेस्पो. सं. 1 पिता व अपीलार्थी के ससुर फताराम व रेस्पोडेंट संख्या 9 से 21 की खातेदारी की भूमि आई हुई थी तथा ग्राम बुधनगर तहसील ओसियां के खेत खसरा नं. 172 रकबा 34 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 78/3 रकबा 46 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 91 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 95/1 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 102 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 की खातेदारी व काश्तसुदा आई हुई थी। स्व. फताराम के पुत्र ओमाराम पत्नी तुलसी व पुत्रियां पप्पू, एलची, विमला, चुकी व बेबी वंशज थे तथा फताराम के सभी वारिसान का हिस्सा उनकी फौत के बाद बराबर–बराबर है। परंतु रेस्पो. सं. 2 द्वारा

23/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 06.07.2012 को एक हकतर्कनामा अपीलांट के पति के पक्ष में निष्पादित कर दिया था जिसके तहत रेस्पो. सं. 1 व उसकी बहनो का संपूर्ण हिस्सा अपीलांट के पति के पक्ष में त्याग दिया था। रेस्पो. सं. 1 द्वारा विवादित भूमि में 1/6 हिस्से की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु एक वाद प्रस्तुत किया जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद व प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर रेस्पो. को नोटिस जारी किए गए तथा तामील होने से पूर्व ही दिनांक 17.06.2016 को एक पक्षीय आदेश राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति का पारित किया गया। अपीलांट द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को राजस्व कैंप में लेते हुए कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही प्रार्थना पत्र अपने आदेश दिनांक 17.06.2016 के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2016 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाददर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की गई है। पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 15.06.2016 अधीनस्थ न्यायालय में नियत थी तत्पश्चात अगली तारीख पेशी तय नहीं की जाकर पत्रावली को लोक अदालत में दिनांक 17.06.2016 को नियत कर दी तथा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही आलोच्य आदेश पारित कर दिया, जो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण अपास्त व निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत के उद्देश्यों से विपरीत जाकर आलोच्य आदेश पारित किया है जो आदेश लोक अदालत की भावना से पारित नहीं किए जाने के कारण अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने वाले तीनों आवश्यक बिंदुओं को निस्तारण किए बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया है जो आदेश अपास्त व निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांट विवादित भूमि की खातेदार काश्तकार है तथा खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलांट को उसके पति के देहांत के बाद खातेदारी प्राप्त हुई है तथा रेस्पो. सं. 1, 3, 4, 5, 6 की ओर से उसकी माता द्वारा अपीलांट के पति के पक्ष में पंजीबद्ध हकतर्कनामा के जरिए हक त्याग किए जाने के कारण राजस्व न्यायालय मे वाद चलने योग्य नहीं रह जाता है तथा अपीलांट खातेदार है जिसके

23/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा अजनबी व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। पजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त व शून्य करवाए बिना राजस्व न्यायालय में पंजीबद्ध दस्तावेज के विरुद्ध वाद चलने योग्य नहीं रह जाता है। तथा वाद कानूनी रूप से विधि द्वारा बाधित है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2016 का है परंतु दिनांक 15.06.2016 के बाद तारीख पेशी नहीं दी गई। बिना सूचना के पत्रावली को राजस्व कैंप में ले जाकर निस्तारित कर दिया। पत्रावली का पता करने पर आगामी पेशी नहीं बताई गई। बार–बार पता करने पर दिनांक 21.12.2016 को जब अपीलांट ने पत्रावली की नकल लेने हेतु आवेदन किया तो दिनांक 23.12.2016 को नकल प्राप्त होने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। जिसके तुरंत बाद अपील पेश कर दी गई। अतः प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करते हुए अपील अंदर मियाद शुमार करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1, 2, 6 की ओर से अधिवक्ता श्री अणदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि पत्रावली में अपीलांट का जबाब प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है अतः यह तर्क उचित नहीं हैं कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। जहां तक हकतर्कनामे का प्रश्न है वह नाबालिग द्वारा हकतर्क नहीं हो सकता। अप्रार्थी ओमाराम की मृत्यु के बाद अपीलांट इमीदेवी पीहर चली गई। वाद ग्रस्त भूमि ओमाराम के पिता की प्रोपर्टी है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र सही स्वीकार किया है। अपीलांट भले ही लोक अदालत कैंप में उपस्थित नहीं थी लेकिन उसके स्थान पर उसका जबाब प्रार्थना पत्र पत्रावली पर मौजूद था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत कैंप में प्रकरण को निस्तारण करके कोई गलती नहीं की है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो सं. 3 से 5 एवं 7 से 23 प्रफोर्मा पक्षकारा होने से तामील से छूट प्रदान की गई।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में भी पक्षकारान व अधिवक्तागण की उपस्थिति का कोई उल्लेख नहीं हैं। अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा–5 के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2016 का है परंतु दिनांक 15.06.2016 के बाद तारीख पेशी नहीं दी गई। बिना सूचना के पत्रावली को राजस्व कैंप में ले जाकर

23/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निस्तारित कर दिया। पत्रावली का पता करने पर आगामी पेशी नहीं बताई गई। बार–बार पता करने पर दिनांक 21.12.2016 को जब अपीलांट ने पत्रावली की नकल लेने हेतु आवेदन किया तो दिनांक 23.12.2016 को नकल प्राप्त होने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। जिसके तुरंत बाद अपील पेश कर दी गई। अतः प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम को स्वीकार करने का निवेदन किया। अपीलांट अधिवक्ता की उक्त बहस एवं धारा–5 के प्रार्थना पत्र का कोई जबाब पेश नहीं किया न खण्डन किया बल्कि अपनी बहस में यह स्वीकार भी किया कि राजस्व कैंप में अपीलांट को सूचित नहीं किया गया और न ही वह उपस्थित थी अपीलांट के जबाब प्रार्थना पत्र होने के कारण आदेश पारित करने के लिए उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। अतः अपीलांट/प्रार्थिनी का धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करते हुए अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

9 अपीलांट के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलाधीन आदेश पारित करते समय उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा लोक अदालत में पक्षकारान की सहमति के बिना प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा सकता। अपीलांट की अधिवक्ता के तर्क से यह न्यायालय पूर्णतया सहमत है कि लोक अदालत में केवल वही प्रकरण निस्तारित किए जा सकते हैं जिनको लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति के आधार पर पक्षकारान ने न्यायालय के समक्ष अपनी सहमति दे दी हो। तथा लोक अदालत में पक्षकारान द्वारा राजीनामा या सहमति पत्र पेश करने पर लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकरण में पक्षकारान की ओर से प्रकरण को लोक अदालत की भावना से निस्तारण के लिए कोई सहमति नहीं हैं और न ही पक्षकार लोक अदालत में मौजूद थे। ऐसी स्थिति में लोक अदालत शिविर में इस प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा सकता था। प्रत्रावली शेष अप्रार्थीगण के जबाब में चल रही थी ऐसी स्थिति में शेष अप्रार्थीगण का जबाब बंद करके पक्षकारान व उनके अधिवक्तागण की अनुपस्थिति में पक्षकारों को सूचना दिए बगैर प्रकरण का निस्तारण करना विधिक दृष्टि से उचित नहीं हैं व लोक अदालत की भावना के विपरीत पाया जाता है।

इस प्रकरण में अपीलांट के पति के नाम खातेदारी थी लेकिन पति की मृत्यु के बाद वह खातेदार है अपीलांट को उसके पति के देहांत के बाद खातेदारी प्राप्त हुई है तथा रेस्पो. सं. 1, 3, 4, 5, 6 की ओर से उसकी माता द्वारा अपीलांट के पति के पक्ष में पंजीबद्ध हकतर्कनामा के जरिए हक

23/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

त्याग किए जाने के कारण राजस्व न्यायालय मे वाद चलने योग्य नहीं रह जाता है तथा अपीलांट खातेदार है जिसके विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा अजनबी व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। पजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त व शून्य करवाए बिना राजस्व न्यायालय में पंजीबद्ध दस्तावेज के विरुद्ध वाद चलने योग्य नहीं रह जाता है। तथा वाद कानूनी रूप से विधि द्वारा बाधित है। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा इस हकतर्कनामे को गैर कानूनी बताया है कि नाबालिग पुत्रियों की ओर से पुत्र के नाम हकतर्कनामा नहीं हो सकता है। लेकिन इस संबंध में कोई कानून पेश नहीं किया वैसे भी प्रार्थना पत्र की स्टेज पर इस बिंदु को तय नहीं किया जा सकता। यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र है जिसमें केवल प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिंदु देखा जाना है। प्रकरण में अपीलांट के पति की मृत्यु के बाद वह खातेदार है तथा जब तक हकतर्कनामा निरस्त नहीं होता है तब तक अपीलांट की खातेदारी निरस्त नहीं हो सकती। पंजीबद्ध हकतर्कनामे को राजस्व न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र की स्टेज पर प्रथम दृष्टया रेस्पो. सं. 1 के पक्ष में नहीं हैं। बल्कि अपीलांट के पक्ष में हैं। इस कारण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिंदु भी रेस्पो. सं. 1 के पक्ष में नहीं पाया जाता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय गुणावगुण पर भी विधि अनुसार नहीं हैं। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त किए जाने योग्य पाया जाता है।

10 अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2016 निरस्त किया जाता है।

23/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 23.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर